न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

प्रकरण संख्या : 07/2020

अभियुक्त :–

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा	बनाम	श्री धिरेश जैन पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार जैन जाति जैन मैसर्स सारगीया किराणा स्टोर, आशापुरा मोड परतापुर जिला बॉसवाडा। स्थायी पता– गॉधी आश्रम के पिछे मु.पो. परतापुर जिला बॉसवाडा।

उपस्थित :–

खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा — श्री धिरेश जैन पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार जैन

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 27–01–2020

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री अशोक कुमार गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक 18–12–2019 को यह इस्तगासा इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 11–02–2019 को 04.40 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जॉंच हेतु मैसर्स सारगीया किराणा स्टोर, आशापुरा मोड परतापुर जिला बॉसवाडा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री धिरेश जैन पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार जैन उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान विक्रेता की दुकान पर शुगर बोईल्ड कन्फेशनरी (संगम केन्डीज) की 400 ग्राम वाले 15 पैकेट मूल ही, कम्पनी पैक, सील बन्द स्थिति में आम जनता को विक्रय हेतु रखे पाये। इसमे मिस ब्राण्ड, अनसेफ एवं सब स्टेण्डर्ड का शक होने पर विक्रेता को फार्म नं.5ए पर उक्त शुगर बोईल्ड कन्फेशनरी (संगम केन्डीज) की 400 ग्राम वाले 4 पैकेट मूल ही, कम्पनी पैक, सील बन्द स्थिति में जॉच हेतु खरीदे तथा इनकी कीमत 88 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तसदीक की। वास्ते निरीक्षण खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन – 2019 दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता ने खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञप्ति/रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत किया। जॉच हेतु खरीदशुदा उक्त चारो पैकेट को गत्ते के चार साफ सुखे एवं खाली डब्बो में रख कर डब्बे का मुह टेप की सहायता से कसकर एयर टाईड बन्द किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर को जमा करवाया।

खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर (खाद्य एवं मानक प्रयोगशाला उदयपुर) से प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया शुगर बोईल्ड कन्फेशनरी (संगम केन्डीज) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(Zf)(C)(i) के तहत मीसब्राण्डेड एवं धारा 3(1)(zz)(v)(xi) के तहत अनसेफ होना पाये जाने से विक्रेता द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 27 (3)(d) एवं सहपठीत धारा 26 (2)(V) का उल्लंघन होना पाया गया। जिस पर उक्त अधिनियम की धारा क्रमशः 52 व 58 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 10–01–2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

निर्णयन अधिकारी (जिला कलक्टर)

दिनांक 27–01–2020 को अभियुक्त श्री धिरेश जैन पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार जैन ने उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है।

प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्त को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर (खाद्य एवं मानक प्रयोगशाला उदयपुर) से प्राप्त जांच रिपोर्ट दिनांक 06–03–2019 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया शुगर बोईल्ड कन्फेश्नरी (संगम केन्डीज) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(Zf)(C)(i) के तहत मीसब्राण्डेड एवं धारा 3(1)(zz)(v)(xi) के तहत अनसेफ होना पाया गया। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(Zf)(C)(i) के तहत मीसब्राण्डेड एवं धारा 3(1)(zz)(v)(xi) के तहत अनसेफ पाया गया शुगर बोईल्ड कन्फेश्नरी (संगम केन्डीज) विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत व क्रम सं. 1 ने माल कहॉं से प्राप्त किया कि जानकारी नही देकर धारा 27 (3)(d) एवं सहपठीत धारा 26 (2)(V) का उल्लंघन किया। जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 58 के तहत् आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर श्री धिरेश जैन पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार जैन जाति जैन मैसर्स सारगीया किराणा स्टोर, आशापुरा मोड परतापुर को रुपया 15000/– (पन्द्रह हजार) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 27–01–2020 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2020.02.04 10:33:10 IST
Reason: SelfAttested
Location: